FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम ....

मोहनराम वगैरा बनाम रामाराम वगैरा

किस्म मुकदमा 111,128 LLR act नं. 150 /2022 सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.04.22	प्रार्थी/बादी/अपीलांट के वकील श्री .... ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111,128 राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 25.04.22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कलक्टर (SDO) बायतु जिला – बाड़मेर	
25/04/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित । विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगणो की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अवसर दिया जाकर पत्रावली 28/04/2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कलक्टर (SDO) बायतु जिला – बाड़मेर	

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
28/04/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित/ न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई/ अंतिम आवाज 5.45 PM पर लगाई गई। विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ। लिहाजा विप्रार्थीगणों के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढ़ा सेढ़ आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वंय या अपने अधीनस्थः भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

ांक : वाद / 2022 / 481 दिनांक : 28/04/2022

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

1. मोहनराम पुत्र ताजाराम
2. सुखराम पुत्र ताजाराम,
   जाति जाट, निवासी मानपुरा खारड़ा,
   पटवार मण्डल गिड़ा,
   तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

1. राजुराम पुत्र लाधाराम वगैरा 37,
   जाति जाट, निवासी मानपुरा खारड़ा,
   पटवार मण्डल गिड़ा,
   तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या – 150 / 2022

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा – मानपुरा खारड़ा, पटवार मण्डल – गिड़ा, तहसील – गिड़ा, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 271, 326 / 56, 350 / 254, 355 / 254 रकबा क्रमशः 1.6187, 5.4309, 5.0181, 3.0351 हेक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500/– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक : 28/04/2022

क्रमांक : वाद / 2022 / 482-86
प्रतिलिपि :–निम्न **को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।**

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का गिड़ा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री मोहनराम पुत्र ताजाराम वगैरा 02,
4. विप्रार्थी श्री राजुराम पुत्र लाधाराम वगैरा 37,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु / गिड़ा / नागाणा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

(SDO) बायतु